Mail

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–रा0कू0–01/13 2345 खाद्य, पटना/दिनांक – 16/4/2013

प्रेषक,

शिशिर सिन्हा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– राशन एवं किरासन कूपन वितरण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चिन्हित परिवारों को निर्धारित दर एवं मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन एवं किरासन कूपन योजना लागू है। विगत् वर्ष चिन्हित लाभूक परिवारों को इस हेतु जो बार कोडेड कूपन उपलब्ध कराया गया था, उसकी अवधि माह मई, 2013 में समाप्त हो रही है । विगत वर्ष की भॉति इस वर्ष भी माह जून, 2013 से माह मई, 2014 तक के लिए लाभुक परिवारों को नया बार कोडेड कूपन उपलब्ध कराया जाना है, जिसके लिए कूपन का मुद्रण कराया जा रहा है । माह अप्रैल, 13 के अन्त तक जिलों में नये कूपन प्राप्त होना शुरू हो जायेंगे ।

विदित हो कि इस बार भी पंचायतवार ईकाई मानकर बार कोडेड कूपन का मुद्रण कराया जा रहा है ताकि इसकी नकल नहीं हो सके । कूपनों के बार कोडिंग में अन्य कोड के अलावे पंचायत, प्रखंड एवं जिला के लिए भी कोडिंग कराया जा रहा है ताकि किसी प्रखंड या पंचायत के लिए मुद्रित कूपन का दूसरे प्रखंड या पंचायत में उपयोग नहीं किया जा सके ।

लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमोदित परिवारों की संख्या के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी से प्राप्त लाभुक परिवारों की संख्या के आधार पर कूपनों का मुद्रण कराया जा रहा है । मुद्रक द्वारा मुद्रित कूपन जिलों को सीधे प्राप्त कराया जाएगा तथा कूपन प्राप्ति के समय मुद्रक द्वारा मास्टर कोड भी उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि वितरण में सुविधा हो सके । कूपन प्राप्त करते समय वाँछित संख्या में पंचायतवार एवं प्रखंडवार मुद्रित कूपन का मिलान कर हीं कूपन प्राप्त किया जाए ।

उल्लेखनीय है कि माह मई, 2013 में लाभुक परिवारों को उपलब्ध कराये गये कूपनों की अवधि समाप्त हो रही है तथा जून, 2013 से नए कूपन के आधार पर हीं खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति की जानी है । अतएव कूपन वितरण की प्रारंभिक तैयारी एवं कार्ययोजना तैयार कर ली जाए तथा दिनांक 05.05.2013 से दिनांक 25.05.2013 के बीच पूर्ण रूप से कूपनों का वितरण सुनिश्चित किया जाए ।

विगत वर्षों में कूपन वितरण के लिए संलग्न/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी द्वारा स्थानीय मुखिया को वितरण हेतु कूपन सौंप देने की सूचनाएं प्राप्त होती रही है । जबकि विभागीय निदेश के अनुसार किसी भी स्थिति में मुखिया अथवा डीलर को वितरण हेतु कूपन नहीं देना है । इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व सख्त कार्रवाई की जायगी ।

कूपन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता की संभावनाओं को रोकने तथा इसमे पारदर्शिता लाने के लिए यह निदेश दिया जाता है कि :–

1. प्रत्येक प्रखंड में कूपन वितरण हेतु तिथि एवं स्थल सहित पंचायतवार रोस्टर तैयार कर लिया जाय तथा रोस्टर के अनुसार ही शिविर लगाकर कूपन वितरण किया जाय तथा इसकी फोटोग्राफी कराई जाय ।
2. रोस्टर के अनुसार निर्धारित तिथि को यदि कोई उपभोक्ता कूपन प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है तो 15 दिनो के अन्दर दूसरी तिथि निर्धारित कर कूपन का वितरण कर लिया जाय ।
3. अंतिम रूप से कूपन वितरण के पश्चात जो भी कूपन अवितरित बच जाता है उसे अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाय ।
4. प्रत्येक प्रखंड के लिए तैयार किये गये पंचायतवार रोस्टर की प्रति स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करा दी जाय ताकि शिविर में वितरण के समय यदि चाहें तो स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हो सके। प्रखंडवार, पंचायतवार रोस्टर की समेकित प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराई जाय । माननीय सांसद, माननीय सदस्य बिहार विधान मंडल को शिविर में उपस्थित रहने का आग्रह किया जाय जिसमें प्रखंडवार वितरित होने वाले वर्गवार कूपन की संख्या निश्चित रूप से दी जाय ।
5. पंचायतवार रोस्टर, वितरण की तिथि, समय एवं स्थल का स्थानीय लोगों के बीच व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाय ताकि वितरण के समय लाभुक उपस्थित रहकर अपना कूपन प्राप्त कर सके ।
6. कूपन का वितरण पंचायत में अवस्थित किसी सरकारी भवन यथा पंचायत भवन/सरकारी विद्यालय इत्यादि स्थल पर ही शिविर लगाकर किया जाय।
7. लाभुकों के बीच कूपन का वितरण स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की पहचान पर/राशन कार्ड में चिपकाये हुए फोटो से मिलान कर किया जाय ताकि वास्ताविक लाभुक परिवारों को ही कूपन प्राप्त हो ।
8. कूपन वितरण के क्रम में वितरण पंजी संधारण के साथ ही निर्गत होने वाले कूपन की संख्या कूपनों की अवधि सहित लाभुक परिवार के राशन कार्ड के पिछले पन्नों में अंकित अभ्युक्ति स्तम्भ में निश्चित रूप से दर्ज किया जाय एवं वितरण करने वाले कर्मी/पदाधिकारी द्वारा लघु हस्ताक्षर भी किया जाय।
9. कूपन वितरण कार्यक्रम का गहन पर्यवेक्षण अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निश्चित रूप से किया जाय ताकि वास्ताविक उपभोक्ताओं को कूपन मिल सके एवं निर्धारित अवधि में वितरण कार्यक्रम भी सम्पन्न हो सके ।

10. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनियमितताओं की संभावनाओं को नगण्य करने के उद्धेश्य से जिला स्तर पर निगरानी के लिए एक उड़नदस्ता दल का गठन किया जाय जो कूपन वितरण में किसी समय एवं स्थल पर औचक रूप से जांच कर सकते है। अगर कही से भी कूपन वितरण में गड़बड़ी/अनियमितता आदि की शिकायत प्राप्त होती है तो उस स्थिति में वहॉ निश्चित रूप से अविलंब विडियोंग्राफी करायी जाय ।

कूपन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने पाए इसके लिए कूपन योजना एवं कूपन वितरण हेतु समय–समय पर दिए गए अन्य निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । साथ हीं कूपन वितरण पंजियों का पूर्ण रूप से संधारण किया जाए ।

यह भी अनुरोध है कि कूपन वितरण करने वाले पदाधिकारी/कर्मियों को विभागीय निदेशों से पूर्ण रूप से अवगत् करा दिया जाए तथा इसमें किसी प्रकार की गड़बडी पाए जाने पर दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए ।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव
15.4.12

15/04/13